प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 69/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

Naresh Meghwal Add: Village Bharoi Pal, Tehsil Semari, District Salumber, Raj.

...............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(प्रशा.), उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/06/2025

प्रकरणं में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329946136737700 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 25.04.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 57534614618 दिनांक 05.05.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/69/25/462–63 दिनांक 05.05.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प./41/2/सू.अ/प्र.अ.स./69/2025/454–55 दिनांक 27.05.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु दिनांक 24.05.2025 को ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में विकास एवं पंचायत अनुभाग, कार्यालय हाजा को इस कार्यालय के पत्रांक 378–80 दिनांक 09.05.2025 से लिखा गया। इस संबंध में विकास एवं पंचायत अनुभाग द्वारा उनके पत्रांक 248 दिनांक 12.05.2025 से अवगत कराया कि इनके द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को पत्र लिखा जाकर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा उनके पत्रांक 2464 दिनांक 13.05.2025 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया कि वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः प्रथम अपील निरस्तारित करने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना चाहने हेतु प्रत्यर्थी के कार्यालय में आवेदन किया गया। जिसके संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा संबंधित विकास एवं पंचायत अनुभाग को सूचना चाहने हेतु लिखा गया। विकास एवं पंचायत अनुभाग द्वारा वांछित सूचना सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

से संबंधित होने से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को लिखा गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक 2464 दिनांक 13.05.2025 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02-06-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर